



चल / अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

ईएमडी और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि और समय 20.06.2022 को या उससे पहले अपराह्न 04:00 बजे तक

(दस्तावेजों के अनुमोदन में 2-3 कार्य दिवस लग सकते हैं)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8(6) एवं 6(2) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत चल/अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी सूचना, 2002. एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/वार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा लिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत अधिकारी द्वारा सुरक्षित लेनदार, देय राशि की वसूली के लिए, 'जहाँ है जहाँ है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है' पर नीचे निर्दिष्ट तिथि और समय पर बेचा जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को - उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) से सुरक्षित लेनदार। संबंधित संपत्तियों का आरक्षित मूल्य और बयाना राशि नीचे उल्लिखित हैं:

स. क्र.	उधारकर्ताओं का नाम	संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण और संपत्ति के मालिक	मांग सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
			बकाया राशि	धरोहर जमा राशि	
			कब्जा सूचना	बाली वृद्धि राशि	
1.	मेसर्स श्री रामकृष्ण एग्रो, प्रोपराइटर- श्री नीरज गर्ग एवं जमानतदार स्व. घनश्याम दास गर्ग (वगानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से) एवं श्री दीपक गर्ग पिता- स्व. घनश्याम दास गर्ग।	मेसर्स श्री रामकृष्ण एग्रो, (प्रोप.- श्री नीरज गर्ग) के नाम पर खसरा नं. 594/2 (बाहर का 594), कुल डायवर्टेड क्षेत्रफल- 0.051 हेक्टेयर (कुल प्लॉट का क्षेत्रफल- 0.053 हेक्टेयर), प.ह.नं. 16, आरआईसी- दारिमा, तहसील- अम्बिकापुर, ग्राम- खाला, तहसील- अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.) में स्थित प्लॉट व मशीनरी, सुपरस्ट्रक्चर/शेड के साथ अचल संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश। निम्न चौहद्दी के साथ: उत्तर- विक्रेता की भूमि, दक्षिण- दीपक गर्ग की भूमि, पूर्व- डब्ल्यूबीएम सड़क, पश्चिम- शासकीय भूमि।	04.07.2018	₹ 29,21,000.00	20.06.2022 FROM 11:00 AM TO 04:00 PM
			₹ 57,97,917.00 + उस पर ब्याज व अन्य व्यय	₹ 2,92,100.00	
			14.11.2018	₹ 10,000.00	

ई-नीलामी 'जैसी है जहाँ है', 'जैसी है जो है' और 'जो कुछ है आधार' पर आयोजित की जा रही है।

1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले ऋणभार, नीलामी में रखी गई संपत्ति के शीर्षक और दावों/अधिकारों/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए।

2. बोलीदाताओं को निम्नलिखित औपचारिकताएं पहले ही पूरी करनी होंगी: चरण 1- बोलीदाता/क्रेता पंजीकरण: बोलीदाता को अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करके ई-नीलामी पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com> पर पंजीकरण करना होगा। चरण 2- केवाईसी सत्यापन: बोलीदाता को अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाएगा (इसमें दो कार्य दिवस लग सकते हैं)। चरण 3- ईएमडी राशि का उसके ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में स्थानांतरण: ई-नीलामी पोर्टल पर उत्पन्न चालान का उपयोग करके एनईएफटी / ट्रांसफर का उपयोग करके फंड का ऑनलाइन / ऑफ-लाइन हस्तांतरण। चरण 1 से चरण 3 बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी तिथि से पहले काफी पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। पते के प्रमाण की प्रति, जिसके बिना बोली अस्वीकृत की जा सकती है। अनुलमनक- II और III (निविदा सूचना में उल्लिखित) की स्कैन कॉपी को विधिवत भरकर और हस्ताक्षर करने के बाद अपलोड करना।

3. ई-नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया अपनी बोलियां जमा करने और इसमें भाग लेने से पहले <https://www.mstcecommerce.com> और सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी <https://www.centralbankofindia.co.in> देखें। ई-नीलामी।

नोट: नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के निरीक्षण की अनुमति कार्य दिवसों के दौरान शाखा प्रबंधक/प्राधिकृत अधिकारी के साथ पूर्व नियुक्ति और परामर्श के दौरान कार्य दिवसों के दौरान दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच दी जाएगी। किसी भी प्रश्न के लिए, बोलीदाता श्री संजय कुमार प्रधान, मुख्य प्रबंधक, अम्बिकापुर मुख्य शाखा, मोबाइल नंबर - 9827971191, ई-मेल आईडी: [bmambi0797@centralbank.co.in](mailto:bmambi0797@centralbank.co.in) से कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।

**सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री**

उधारकर्ताओं/गारंटर्स को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ उपर उल्लिखित राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति की ई-नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत की वसूली की जाएगी।